

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

National Institute of Fashion Technology

(Ministry of Textiles, Govt. of India)

13583(1)/निफ़्ट/बीपीएल/शुल्क मामले/ 2021-22

दिनांक: 15 मई 2023

शुद्धि पत्र

निफ़ट परिपत्र क्रमांक 13583(1)/निफ़ट/बीपीएल/शुल्क मामले/ 2021-22 दिनांक 14 फरवरी 2023 के पैरा 6 के अनुसार शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि (20 फरवरी 2023) के बाद 25.02.2023 तक 100/रु0 प्रति दिन + जीएसटी देय था । 26.02.2023 से जुर्माना दोगुना देय होता किन्तु त्रुटिवशउक्त परिपत्र में दोगुना जुर्माने लिखे जाने से रह गया। त्रुटि को संज्ञान में लेते हुये और विद्यार्थियों को इस त्रुटि का लाभ देते हुये केवल इसबार के लिए दोगुने जुर्माने की जगह प्रथम पाँच दिन के दर , अर्थात 100 रूपये +जीएसटी प्रतिदिन, पर ही जुर्माना देय होगा।

As per NIFT Circular No. 13583(1)/निफ़्ट/बीपीएल/शुल्क मामले/ 2021-22 दिनांक 14 फरवरी 2023 a fine of Rs 100 per day +GST was to be paid as penalty for payment of fee after due date (20.02.2023) till 25.02.2023. After 25.02.2023, double the penalty was to be charged, however, erroneously, the same was not mentioned in the circular.

Keeping in view the error, benefit is given to the students and penalty at the same rate i.e. Rs 100 per day +GST shall be levied, instead of double the penalty.

के. शक्ति नारायणन)

लेखाधिकारी

प्रतिलिपि:

- निदेशक निफ़्ट भोपाल -सूचनार्थ ।
- संयक्त निदेशक निफ़्ट भोपाल -सूचनार्थ ।
- समस्त केंद्र शैक्षणिक समन्वयक निफ़्ट भोपाल -सूचनार्थ ।
- विद्यार्थी विकास अकादमिक समन्वयक निफ़्ट भोपाल -सूचनार्थ ।
- संकाय प्रभारी छात्रावास निफ़्ट भोपाल -सूचनार्थ ।
- वेबमास्टर निफ़्ट भोपाल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु -सूचनार्थ ।

डिजाइन, मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान An Institute of Design, Management & Technology